**पंचायती राज मंत्रालय**
**जुलाई, 2018 का मासिक सारांश**

1) विभिन्न स्रोतो से पंचायतों को उपलब्ध वित्त प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने की दिशा में उपाय के रूप में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) राज्यों के साथ बड़ी शिद्दत से अनुसरण करता आ रहा है। इस संदर्भ में अपने खातों को वर्ष 2017-18 के लिए प्रियासॉफ्ट पर बंद करने, ग्राम पंचायत/ वेंडरों का पंजीकरण करने के लिए राज्यों का अनुसरण हेतु पंचायती राज मंत्रालय नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान 66 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने अपने खाते बंद किए और 58000 ग्राम पंचायतों ने पीएफएमएस पर अपना पंजीकरण कराया। जबकि बाकी बचे ग्राम पंचायतों का पंजीकरण कराने की प्रक्रिया चल रही है। करीब 59000 ग्राम पंचायतों ने पहले ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) हासिल कर लिया है।

2) इसके अलावा, सभी केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों में स्थानीय सरकारी निर्देशिका (एलजीडी) कोड को अपनाने पर बड़ा जोर दिया गया है; एलजीडी कोड के साथ ग्राम पंचायतों का मानचित्रण करने के लिए मंत्रालय पीएफएमएस टीम के साथ पूरी तरह अनुसरण कर रहा है। आज तक 86% ग्राम पंचायतों का पीएफएमएस पर एलजीडी कोड के साथ मानचित्रण किया गया है।

3) स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) अनुप्रयोग से संबंधित विभिन्न कार्यवाही के विषयों (वस्तुओं) पर हुई प्रगति की समीक्षा के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभाग के नोडल अधिकारी के साथ 12 जुलाई, 2018 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। विकास कार्यों के लिए एलजीडी का उपयोग करने में ब्लॉक के साथ गांवों का मानचित्रण न होना एक बड़ी बाधा थी। इस मामले को प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में बाधा के रूप में उजागर किया गया था। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्य करने से 99.96% गांवों को संबंधित ब्लॉक और ग्राम पंचायत के साथ मानचित्रण कर लिया गया है।

4) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के कार्यान्वयन के लिए ढांचे (फ्रेमवर्क) को राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है और इसे कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में प्रसारित किया गया है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे वर्ष 2018-19 के लिए जल्द से जल्द वार्षिक कार्य योजना जमा करें।

5) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना के कार्यान्वयन के ढांचे (फ्रेमवर्क) को संबंधित मंत्रालयों / विभागों को अभिसरण के अनुरोध के साथ आरजीएसए के प्रमुख फोकस क्षेत्रों को उजागर करने, उनके एमआईएस के डेटाबेस साझा करने और पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में एकीकरण हेतु महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री को साझा करने के लिए भी प्रसारित किया गया है।

6) नीति आयोग द्वारा पहचाने गए 117 आकांक्षी जिलों में विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान (ईजीएसए) के संदर्भ में, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि इन आकांक्षी जिलों के ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू करें। इसकी सुविधा प्रदान करने के लिए, उन्हें सलाह दी गई है कि वे पूर्ववर्ती क्षमता निर्माण-पंचायत सशक्तिकरण अभियान (सीबी-पीएसए) योजना की उनके पास उपलब्ध अव्यतित शेष राशि का उपयोग करें।

7) मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2018 के दौरान, 15 वें वित्त आयोग से पहले एक व्यापक प्रस्तुति तैयार गई थी। प्रस्तुति से पहले इस मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान पंचायतों को कुल 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

8) इस मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने चौदहवें वित्त आयोग अवार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए गुजरात को मूल अनुदान की पहली किस्त 862.68 करोड़ रुपये, सिक्किम को 14.84 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 33.54 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

9) इस महीने के दौरान, एमओपीआर ने वित्त मंत्रालय (एमओएफ) को मूल अनुदान की पहली किस्त के रूप में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए गोवा को 11.55 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश को 180.82 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पश्चिम बंगाल को 1370.34 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की है।

10) वर्ष 2016-17 के लिए एफएफसी के तहत 29942.87 करोड़ रुपये मूल अनुदान के आवंटन की तुलना में कुल निर्मुक्ति 28600.45 करोड़ रुपए, वर्ष 2017-18 के लिए 34596.26 करोड़ रुपए के कुल आवंटन की तुलना में 31316.82 करोड़ रुपए और वर्ष 2018-19 के लिए 40021.63 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में 10823.57 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए। वर्ष 2016-17 के लिए 3927.65 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 3499.45 करोड़ रुपये और 2017-18 के लिए 4444.71 करोड़ की तुलना में 1106.90 करोड़ रुपये बतौर निष्पादन अनुदान निर्मुक्त किए गए।

**********

**Ministry panchayati Raj**
**Monthly Summary for the month of July, 2018**

1) As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been regularly conducting video conferences; pursuing the States for closure of account on PRIASoft for 2017-18, GP/vendor registration. For the year 2017-18, 66% of the Gram Panchayats have closed their account books and 58000 GPs have been registered on PFMS while remaining GPs are in the process of the same. Around 59000 GPs have already procured Digital Signature Certificates (DSCs).

2) Further, with a major emphasis on adopting Local Government Directory (LGD) codes across all the Central Government Ministries and State Governments; the Ministry is thoroughly pursuing with the PFMS team to get the GPs mapped with LGD codes. Till date, 86% Gram Panchayats are mapped with LGD codes on PFMS.

3) A video conference was held on July 12, 2018 with the Nodal Officers of Panchayati Raj Department from States/UTs to review the progress made by them on various action items related to Local Government Directory (LGD) application. Un-mapping of villages to Block was a serious limitation in using LGD for developmental works. This matter was highlighted as an obstacle in implementing Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. With continuous follow-up with States/UTs, 99.96% villages have been mapped with respective Block and Gram Panchayat.

4) The framework for implementation of the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) has been finalised after due consultation with States and other stakeholders and the same has been circulated to all the States/UTs for implementation. States have been advised to submit Annual Action Plan for the year 2018-19 at the earliest.

5) The framework for implementation of the Scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan has also been circulated to related Ministries / Departments bringing out the key focus areas of RGSA with request for convergence, for sharing of databases of their MIS, and for sharing training material related to important government programs and schemes for integration in the capacity building and training of Panchayati Raj Institutions.

6) In the context of Extended Gram Swaraj Abhiyaan (EGSA) campaign in the 117 Aspirational Districts identified by NITI Aayog, States have been requested to undertake Capacity Building and Training activities of the Elected Representatives of Gram Panchayats of these Aspirational Districts on priority basis. To facilitate this, they have been advised to utilise the unspent balance of the erstwhile scheme of Capacity Building-Panchayat Sashaktikaran Abhiyaan(CB-PSA), available with them.

7) During July, 2018, a comprehensive presentation before the 15$^{th}$ Finance Commission was made by the Ministry. Before the presentation this Ministry had submitted a Memorandum to the Commission for allocating total Rs 10 lakh crore to Panchayats during the period from 2020-21 to 2024-25.

8) In accordance with the recommendation of this Ministry, the Ministry of Finance has released 1st instalment of Basic Grant of Rs. 862.68 crore to Gujarat, Rs. 14.84 crore to Sikkim and Rs. 33.54 crore to Tripura for Financial Year (FY) 2018-19 under the Fourteenth Finance Commission Award.

9) During the month, MoPR has recommended to Ministry of Finance (MoF) for release of 1st instalment of Basic Grant of Rs. 11.55 crore to Goa for FY 2017-18 and 1st instalment of Basic Grant of Rs. 180.82 crore to Himachal Pradesh and Rs. 1370.34 crore to West Bengal for FY 2018-19.

10) The total release of Basic grant under FFC for the year 2016-17 is Rs. 28600.45 crore against the allocation of Rs. 29942.87 crore, during 2017-18 is Rs. 31316.82 crore against the allocation of Rs. 34596.26 crore and it is Rs.10823.57 crore against the allocation of Rs.40021.63 crore for the year 2018-19. Release of Performance Grant is Rs. 3499.45 crore against the allocation of Rs. 3927.65 crore for 2016-17 and Rs. 1106.90 crore against allocation of Rs. 4444.71 crore, for the year 2017-18.

**********